संख्याः– 1557/रा0आ0का0/2016–17

प्रेषक,

अनिल कुमार,
राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फिरोजाबाद, बांदा, कानपुर देहात, महोबा, फतेहपुर, अलीगढ़, सीतापुर, हमीरपुर, आगरा, इटावा, गाजीपुर तथा जालौन।

राहत आयुक्त कार्यालय लखनऊ : दिनॉकः: 29 अप्रैल, 2016

विषयः– ओलावृष्टि–2016 के सापेक्ष किसानों को कृषि निवेश अनुदान का वितरण दिनांक 15 मई, 2016 तक किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–495/1–10–2016, दिनांक 26.04.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से ओलावृष्टि–2016 से प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये धनराशि स्वीकृत करते हुये विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये है। इसके अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 22.03.2016 द्वारा गत वित्तीय वर्ष में राज्य आपदा मोचक निधि धनराशि स्वीकृत की गयी है।

2– अतः इस संबंध में अनुरोध है कि ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत वितरित किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि का वितरण दिनांक 15 मई 2016 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाये तथा वितरण की दैनिक सूचना निम्नलिखि प्रारूप पर राहत आयुक्त कार्यालय के फैक्स सं0–0522–2238084, 2236305 तथा ईमेल–rahat@nic.in पर प्रेषित करने का कष्ट करें:–

प्रारूप				धनराशि लाख रू0 में
जनपद का नाम	प्रभावित किसानों की संख्या	जनपद को कुल आवंटित धनराशि	कुल किसानों की संख्या जिन्हें कृषि निवेश अनुदान दिया गया	कुल वितरित धनराशि
1	2	3	4	5

भवदीय,

(अनिल कुमार)
राहत आयुक्त

all letters – 5